(7) (83)

यालय अनुविभागीय अधिकारी मण्डला

राजस्व प्रकरण कमांक / 83 (अ–2) 2014–15

अध्यक्ष, मॉ रेवती एजूकेशनल एण्ड बेल फेयर सोसायटी
द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा चौबे पति शिवकुमार चौबे
निवासी शांति नगर जबलपुर
तहसील व जिला जबलपुर .... आवेदिका

::–विरूद्ध–::

मध्य प्रदेश शासन

::– आदेश –::

(आज दिनांक 28/05/ 2015 को पारित)

आवेदिका अध्यक्ष, मॉ रेवती एजूकेशनल एण्ड बेल फेयर सोसायटी द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा चौबे पति शिवकुमार चौबे निवासी शांति नगर जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह ग्राम **खैरी** पटवारी हल्का नंबर **32** राजस्व निरीक्षक मण्डल **मण्डला** में स्थित भूमि **खसरा नंबर 350/1ख/2 एवं 340/1ख/2 कुल रकवा 0.400हेक्टेयर कुल जमा 1.50रूपया** भूमि राजस्व प्रलेखों में **आवेदिका** का नाम भूमि स्वामी की तरह दर्ज है। उक्त भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन (कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु महाविद्यालय हेतु) में म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(2) के अन्तर्गत परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र मय खसरा, पंचसाला, रजिस्ट्री की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया है। आवेदक उक्त भूमि को **व्यवसायिक प्रयोजन** (शैक्षणिक गतिविधियों के लिये संचालन) हेतु पुर्ननिर्धारण कराना चाहती हैं। अतः उक्त भूमि का मद परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया गया है।

2. आवेदक के उक्त आवेदन के आधार पर मूल प्रकरण राजस्व निरीक्षक (परिवर्तित भूमि) मण्डला को जॉच हेतु भेजा गया। राजस्व निरीक्षक (परिवर्तित भूमि) मण्डला द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रकरण में राजस्व निरीक्षक (डायवर्सन) द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उक्त आवेदित भूमि में स्थल पर रिक्त है। राज़स्व निरीक्षक (परिवर्तित) मण्डला के द्वारा पुर्ननिर्धारण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि, उक्त भूमि का भू–राजस्व 1.50रूपया समाप्त कर म.प्र.शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2014 के अनुसार निर्धारण में परिवर्तन एवं प्रीमियम का अधिरोपण से संबंधित नियमों में संशोधन के अनुसार बाजार मूल्य का **2%** प्रतिशत प्रीमियम एवं बाजार मूल्य का **0.4%** प्रतिशत पुर्ननिर्धारिण द्वारा **व्यवसायिक** प्रयोजन हेतु अधिसूचित है। उक्त आवेदित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य कलेक्टर गाईड लाईन 2014–15 के अनुसार राशि **2254000.00 (बाईस लाख चौवन हजार रूपये)** होता है। उक्त आधार पर **ग्राम** खैरी **पटवारी हल्का नंबर** 32 **राजस्व निरीक्षक मण्डल** मण्डला **में स्थित भूमि खसरा नंबर 350/1ख/2 एवं 340/1ख/2 कुल रकवा 0.400हेक्टेयर** भूमि की **राशि 9016.00 (नौ हजार सोलह रूपये)** एवं **राशि 45080.00 (पैतालिस हजार अस्सी रूपये) प्रीमियम** प्रस्तावित किया गया है। **जो वर्ष 2014–2015** से देय बताया गया है।

सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार
मण्डला

4. मेरे द्वारा प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित संलग्न खसरा पॉच साला एवं पंजीयत विक्रय पत्र की छायाप्रति का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवेदिका **अध्यक्ष, मॉ रेवती एजूकेशनल एण्ड बेल फेयर सोसायटी द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा चौबे पति शिवकुमार चौबे** के द्वारा विधिवत् पंजीयत विक्रय पत्र का निष्पादन कर भूमि दिनांक 29.03.2015 को क्रय की गई है, राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम दर्ज है तथा कब्जाधारी है। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानांतर्गत प्रकाशित मण्डला: स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग 6–सा–15 की कंडिका 7 में व्यावसायिक इकाई शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत संस्था द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थाएं वर्णित है। आवेदक कृषि मद की भूमि को **शिक्षा व्यवसाय** हेतु व्यपवर्तन चाहती है। अतः म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 172 के तहत इस भूमि का व्यपवर्तन किये जाने में कोई वैधानिक बाधा नही है।

6. अतः राजस्व निरीक्षक (परिवर्तित भूमि), मण्डला के पुर्ननिर्धारण प्रतिवेदन प्रकरण में संलग्न खसरा पांचसाला एवं पंजीयत विक्रय पत्र की छायाप्रति के अवलोकन के पश्चात् आवेदिका **अध्यक्ष, मॉ रेवती एजूकेशनल एण्ड बेल फेयर सोसायटी द्वारा सचिव श्रीमति कृष्णा चौबे पति शिवकुमार चौबे** की ग्राम **खैरी** पटवारी हल्का नंबर **32** राजस्व निरीक्षक मण्डल **मण्डला** में स्थित भूमि **खसरा नंबर 350/1ख/2 एवं 340/1ख/2 कुल रकवा 0.400हेक्टेयर कुल जमा 1.50रूपया को** म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) (तीन) के अन्तर्गत परिवर्तित मद में व्यवसायिक प्रयोजन **(शैक्षणिक गतिविधियों)** हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यपवर्तन किया जाता है एवं म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि का भू–राजस्व **1.50रूपया (एक रूपया पचास पैसा)** समाप्त कर राशि **9016.00 (नौ हजार सोलह रूपये)** रूपया परिवर्तित लगान निर्धारित की जाती है। उक्त राशि वर्ष **2014–15** से देय होगी, तथा म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (5) के तहत राशि **45080.00 (पैतालिस हजार अस्सी रूपये)** प्रीमियम निर्धारित किया जाता है।

शर्तें:–

01. आवेदक सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दुष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्य करेंगा।
02. शासन के निर्देशानुसार हारवेस्टिंग तकनीकी द्वारा व्यपवर्तित भूमि में जल संरक्षण के उपाय सुनिश्चित करेगा।
03. आवेदक संबंधित क्षेत्र की नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से विधिवत् अनुमति लेकर ही निर्माण कार्य करेंगा।
04. यह आदेश सम्पूर्ण देय राशि जमा करने पश्चात् ही प्रभावशील माना जावेंगा।

यह आदेश आज दिनांक 29/05/2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
मण्डला

सत्य प्रतिलिपी
तहसीलदार
मण्डला

(9)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एस.डी.ओ. जिला मंडला

आदेश

(नियम 13 के नियम .... देखें)

1. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम : **KRISHNA CHOUBEY** पता : **KHAIRI KHAIRI .KHAIRI MANDLA 481661** द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की सूचना आवेदन क्रमांक **2205 8460 457** दिनांक **19/07/2023** द्वारा निम्न तालिका अनुसार दी गई है :-

रा० प्र० क्र० 0166 (अ-2) 2023/24

जिला : मंडला तहसील : मंडला रा.नि. मं.: मंडला पटवारी हल्का : खैरी ग्राम : खैरी

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि(व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
344/1/2	कृषि	शैक्षणिक	4000	4000	10.00	40000.00	4000	1.50	6000.00	3000.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				49000.00						

2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रब्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार हैं :-

जिला : मंडला तहसील : मंडला रा.नि. मं.: मंडला पटवारी हल्का : खैरी ग्राम : खैरी

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
344/1/2	कृषि	शैक्षणिक	4000	4000	10.00	40000.00	4000	1.50	6000.00	3000.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				49000.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक **2205 8460 457** दिनांक **19/07/2023** द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुरुस्त किया जाये। (जहाँ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि सामान है।)

5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक **2205 8460 457** दिनांक **19/07/2023** द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्भूत हुए अतिरिक्त प्रब्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा।

दिनांक 19/07/2023

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
राजस्व अनुभाग ----------
जिला मंडला तहसील : मंडला

प्रतिलिपि:-

1. **KRISHNA CHOUBEY** (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि के भुगतान (पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक **2205 8460 457** दिनांक **19/07/2023** द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु।
2. तहसीलदार पैरा – 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित पटवारी हल्का **खैरी** रा.नि.मं. **मंडला** तहसील , **मंडला** की ओर कार्यवाही हेतु।

सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार
मण्डला

10रु. कोर्ट फी Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
निरस्त निरस्त

268
29/11/2025

12/12/2025	1.	[illegible] दिनांक
	2.	आवेदक को उपस्थित होने के लिए [illegible]
29/11/2025	3.	[illegible] होने का [illegible]
	4.	आवेदन पत्र अभिलेख [illegible] कक्ष में [illegible]
31/11/2025	5.	अभिलेख [illegible] कक्ष से आवेदन पत्र [illegible] दिनांक
	6.	प्रतिलिपि [illegible] का दिनांक
31/12/2025	7.	प्रतिलिपि [illegible] जाने या भेजने का दिनांक
10/-	8.	कोर्ट फीस
		प्रतिलिपि शाखा

तहसीलदार
मण्डला